

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़
न्यू बस स्टैण्ड, पंडरी रायपुर

क्रमांक ५।०७/टीसी/2012

रायपुर दिनांक - २०/०९/2012

परिपत्र

विषय:- वाहन चालक लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किये जाने विषयक।

वर्तमान में वाहन एवं सारथी के माध्यम से वाहन चालक लायसेंस एवं वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किया जाना विभाग में लागू किया गया है। कुछ कार्यालयों में यह देखने में आया है कि स्मार्ट कार्ड प्रारंभ होने के पश्चात् भी वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी न कर प्ररूप 23 पर जारी किया गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वाहनों का पंजीयन एवं चालक लायसेंस के कार्य केन्द्र सरकार के साफटवेयर वाहन एवं सारथी के माध्यम से संपादित किये जायें मैनुअल कार्य नहीं किया जाये, तथा निम्नानुसार स्मार्ट कार्ड पर ही जारी किया जाये:-

लायसेंस संबंधी कार्यों में:-

1. नवीन चालक लायसेंस। 2. नवीनीकृत चालक लायसेंस। 3. द्वितीय प्रति चालक लायसेंस।

वाहन पंजीयन संबंधी कार्यों में:-

1. नवीन पंजीयन। 2. द्वितीय प्रति। 3. नामांतरण आदि स्मार्ट कार्ड पर ही जारी किये जायें।

मुमुक्षु
६।९।२०१२
✓परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़
रायपुर दिनांक - २०/०९/१२

पृष्ठा क. ५।०८/टीसी / 2012

प्रतिलिपि:-

1. अति. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. उप सचालक (वित्त), कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।
3. सहायक परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी, (समस्त)
5. शाखा प्रभारी कार्यालय परिवहन आयुक्त,
छत्तीसगढ़। (समस्त)

मुमुक्षु
६।९।२०१२
✓परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़